



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07072026-274220
CG-DL-E-07072026-274220

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3512]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 7, 2026/आषाढ 16, 1948

No. 3512]

NEW DELHI, TUESDAY, JULY 7, 2026/ASHADHA 16, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जुलाई, 2026

का.आ. 3674(अ).— केंद्रीय सरकार, जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अधिनियम, 2026 (2026 का 8) की धारा 1 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तारीख 15 जुलाई, 2026 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम के उपबंध, जहां तक कि यह सड़क मार्ग द्वारा वहन अधिनियम, 2007 (2007 का 41) से सम्बंधित उक्त अधिनियम की अनुसूची में क्रम.सं. 64 और तत्संबंधी प्रविष्टियों से संबंधित हैं, प्रवृत्त होंगे।

[फा. सं. आरटी-17012/1/2024-टी]

महमूद अहमद, अपर सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
NOTIFICATION

New Delhi, the 6th July, 2026

S.O. 3674(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the *Jan Vishwas* (Amendment of Provisions) Act, 2026 (8 of 2026), the Central Government hereby appoints the 15th day of July, 2026 as the date on which the provisions of the said Act, in so far as it relates to serial number 64 and the entries relating thereto in the Schedule to the said Act, relating to the Carriage by Road Act, 2007 (41 of 2007) shall come into force.

[F. No. RT-17012/1/2024-T]

MAHMOOD AHMED, Addl. Secy.